FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

अनिल कुमार मीना पुत्र ठण्डीराम मीना ग्राम पहाडपुरा पो0 किशोरपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली – अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, करौली – रेस्पोण्डेण्ट

मु.नं.–34/19 किस्म मुकदमा–अपील धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005 ता.रजु–

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को दिनांक–27.02.2019 को आवेदन पत्र प्रेषित कर ग्राम पंचायत जोड़ली भाग 1/2 के राशन डीलर कमल मीना से संबंधित वितरण, स्टॉक आदि की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा इसी प्रकरण के संबंध में पूर्व में अपील संख्या 18/19 तारीख रजु 04.10.2019 पेश की गई थी। वक्त सुनवाई अपीलार्थी अनुपस्थित रहा था। अपील संख्या 18/19 में दिनांक 21.10.2019 को आदेश पारित किया जाकर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जा चुकी है। अतः उक्त प्रकरण में पुनः इस न्यायालय द्वारा सुनवाई किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति उभय पक्षकारान को भिजवाई जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, करौली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.01.01 11:22:35 IST
Reason: SelfAttested